रिपोर्ट करने योग्य

भारत के उच्चतम न्यायालय में

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

सिविल रिट याचिका संख्या 1052 वर्ष 2021

सुनील कुमार राय और अन्य याचिकाकर्ता/(गण)

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य प्रतिवादी/(गण)

निर्णय

के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति

1. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् उल्लिखित एक रिट याचिका है। चार याचिकाकर्ताओं ने राहत की मांग की है जो इस प्रकार हैः- -

"अ. राजपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्गत दिनांक 23.08.2016 के अधिसूचना संख्या 689 को रद्द करते हुए उत्प्रेषण लेख की प्रकृति का एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना

ब. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के गलत प्रावधान के तहत दर्ज प्रथम इतला रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार की अवैध, असंवैधानिक अधिसूचना के कारण याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का निर्देश जारी करते हुए बिहार सरकार को एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

स. कोई अन्य आदेश या आदेश पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय उपरोक्त वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में कारगर और उचित समझे।

2. आक्षेपित अधिसूचना दिनांक 23.08.2016 की है, जो इस प्रकार हैः- -

बिहार राजपत्र

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 1 भद्रा 1938 (श)

संख्या पटना 689, पटना, मंगलवार, 23 अगस्त, 2016 साधारण प्रकाशन विभाग

प्रेषक

राजेंद्र राम,

सरकार के मुख्य सचिव,

सभी विभागों के मुख्य सचिव, सभी संभागीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग

केंद्रीय सचिव बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती, पटना, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा बोर्ड, पटना, महाधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के निबंधक, कार्यालय और बिहार राज्य चुनाव प्राधिकरण, पटना के सचिव)

पटना-15 दिनांक 08.08.2016

विषयःलोहारा (लोहार) समुदाय को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और अन्य सुविधा जारी करने के संबंध में।

महाशय,

1. उपरोक्त विषय में आदेश के अनुसार यह कहा गया है कि लोहारा, लोहरा (लोहार, लोहारा) का उल्लेख संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 की सूची में मद संख्या 22 में किया गया था, जिसे संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 48) द्वारा मद संख्या 21 में लोहरा, लोहरा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2006 की संख्या 48 को निरसन एवं संशोधन अधिनियम 2016 (2016 का अधिनिय 23) निरस्त कर दिया गया है।इसलिए उपरोक्त स्थिति में और संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 (अधिनियम संख्या 108/1976) को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र निर्गत करने सहित लोहारा (लोहार) समुदाय को अन्य सुविधा जारी करने के लिए मंजूरी दी जाती है।

आपका विश्वासी

राजेंद्र राम

सरकार के अपर सचिव

(महत्वपूर्ण माना गया)

3. संक्षेप में, याचियों का मामला इस प्रकार हैः- -

बिहार में लोहार समुदाय अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का हकदार नहीं है।अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामला संविधान के अनुच्छेद 342 द्वारा शासित है।अनुच्छेद 342 को लागू करते हुए, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि मूल आदेश राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी किया गया था।इसके तहत लोहारों को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में नहीं माना जाता था।वास्तव में, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के रूप में माना जाता था.

(संक्षेप में ओबीसी)

यह स्थिति वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 1976 तक जारी रही जब संसद के हाथों में एक संशोधन आया।हालांकि, लोहार के अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाने के हकदार नहीं होने के बारे में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।इसके बाद, वर्ष 2006 में, अधिनियम संख्या 48 निम्नलिखित प्रावधान करने के रुप में आयाः

बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को आगे और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के 57 वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- -

1. इस अधिनियम को संविधान (अनुसूचित जनजाति) संक्षिप्त शीर्षक आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 कहा जा सकता है।

2. भारत का राजपत्र असाधारण भाग II-धारा 1] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 का संशोधन।2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में, जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, बिहार से संबंधित भाग III की अनुसूची में, मद 22 (चूंकि मद 21 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है) के स्थान पर, जैसा कि उक्त अधिनियम के हिंदी संस्करण में है, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः- -

“21. लोहारा, लोहरा“

4. इसके पश्चात् भी, संसद 2016 के अधिनियम 23 द्वारा पूर्वोक्त न्यायसंगत अधिनियमन को निरसित करने के लिए आई।उक्त अधिनियम से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी-राज्य ने आक्षेपित अधिसूचना जारी की है।अधिसूचना का परिणाम ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि उक्त अधिसूचना का अंतिम वाक्य प्रतिवादी राज्य के इरादे, तात्पर्य और उद्देश्य को उजागर करता है।दूसरे शब्दों में, 2016 के संशोधन अधिनियम के तहत आश्रय मांगने के लिए, लोहार समुदाय को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाएं जारी करने की मंजूरी दी गई।

5. यह याचिकाकर्ताओं का कथन है कि यह अपने आप में असंवैधानिक और अवैध है।यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।इसके अलावा, इसी पर भरोसा करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1989 अधिनियम' कहा गया है)।याचिकाकर्ताओं को उन्हें अग्रिम जमानत मांगने के लिए विवश किया गया।याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 असफल रहे। वास्तव में, उन्हें अभिरक्षा में जाना पड़ा और यह सब केवल इस तथ्य के कारण है कि प्रत्यर्थी-राज्य ने आक्षेपित अधिसूचना पारित की है जो उन व्यक्तियों के हाथों में एक हैंडल के रूप में आई है जो 1989 के अधिनियम के तहत संरक्षण के हकदार नहीं हैं, याचियों के खिलाफ अधिनियमन का उपयोग करने के लिए। बदले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, याचिकाकर्ताओं के साथ जेल में कैद होने सहित गंभीर अन्याय हुआ है।वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील श्री एस. के. राय बताएंगे कि बिहार राज्य में आक्षेपित अधिसूचना का आह्वान करते हुए हजारों प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित किया गया है।याचियों का आगे निवेदन यह है कि प्रत्यर्थी राज्य ने इस न्यायालय द्वारा बनाई गई विधि की घोषणा की एक बार नहीं, बल्कि तीन अवसरों पर अवहेलना करने का साहस किया।हम उन निर्णयों का उल्लेख करेंगे और यह हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होगा. यह दोहराते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय से संपर्क किया है, यह इंगित करते हुए कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में जाने के बजाय सीधे अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय से संपर्क करने की आवश्यकता है.

6. बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अज़मत हयात अमानुल्लाह के सहयोग से विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार यह इंगित करेंगे कि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार दांव पर कुछ 'व्यक्तिगत दुश्मनी' है।यह भी बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के संरक्षण की मांग करने में लगभग पांच साल की देरी हुई है। याचिकाकर्ताओं ने पांच साल बाद वर्ष 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी है।वह निवेदन करेगा कि याचियों को आपराधिक संहिता की धारा ४३८ के तहत संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया (संक्षेप में दंड

प्रक्रिया संहिता)। याचिकाकर्ताओं को उन आदेशों के खिलाफ अपने उपायों पर काम करना चाहिए था और इस मामले के तथ्यों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षण मांगना उनके अधिकार में नहीं है।

निष्कर्ष

7. संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संस्थापक जनकों ने विचार किया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर इस न्यायालय में जाने के अधिकार को संसद की पहुंच से बाहर घोषित किया जाना चाहिए और इसलिए यह न्यायिक समीक्षा का हिस्सा है कि अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार को समय-समय पर लागू किया गया है। कि किसी दिए गए मामले में, न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी याचिका को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है, जो पूरी तरह से आत्म-संयम का एक हिस्सा है, जिसका उपयोग न्यायालय द्वारा उन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जो न्याय के हित के लिए आवश्यक हैं और साथ ही किसी विशेष मामले में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की उपयुक्तता को भी ध्यान में रखते हुए।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार एक मौलिक अधिकार बना हुआ है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत करने वाले व्यक्ति के लिए यह हमेशा खुला है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पक्षकार को अन्य कार्यवाहियों तक सीमित करने की न्यायालय की शक्ति के अध्यधीन है।

8. संविधान के केंद्र में कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें वास्तव में बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है।संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की घोषणा करता है।अनुचित राज्य कार्रवाई के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 14 का हिस्सा है।संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत असामाजिक तत्वों के साथ समान व्यवहार करना वर्जित है। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में माने जाने के हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे एक अक्षम निकाय द्वारा लाया गया है। जैसेः राज्य ने जिस तरीके से किया। संविधान का अनुच्छेद 21 फिर से कई अधिकारों का स्रोत है, जो समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा प्राप्त विशाल जनादेश का हिस्सा है और जिसने संविधान के तहत अगणित अधिकारों के सिद्धांत को जन्म दिया है। जबकि स्वतंत्रता एक गतिशील अवधारणा है जो विभिन्न प्रकार के अधिकारों को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम है, अपरिवर्तनीय न्यूनतम और स्वतंत्रता के मूल में अनुचित अभिरक्षा से स्वतंत्रता है। इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ, हम याचिकाकर्ताओं की शिकायत और उस पर प्रतिवादी राज्य की प्रतिक्रिया पर विचार कर सकते हैं।

9. हम राज्य की पहली प्रारंभिक आपत्ति पर विचार कर सकते हैं, अर्थात् याचियों ने काफी विलंब के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।यह अधिसूचना अगस्त, 2016 में जारी की गई थी।किसी व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह केवल किसी लिखत या कानून के जारी होने पर ही व्यथित है। वास्तव में, न्यायालय किसी विधि या आदेश की वैधता या वैधता की जांच करने से इस आधार पर इंकार

कर सकता है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है या वह व्यथित व्यक्ति नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालयों ने जनहित याचिकाकर्ता के हाथों कानून बनाने की चुनौती को भी स्वीकार किया है।तथापि, हम साधारणतया केवल यह इंगित कर सकते हैं कि न्यायालय वाद हेतुक पर जोर दे सकता है और इसलिए चुनौती बनाए रखने के लिए व्यक्ति को व्यथित पक्षकार होना चाहिए।हमें इस तथ्य से अनजान नहीं रहना चाहिए, जो अधिसूचना पर आधिरित है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य होने का दावा करने वाले और 1989 के अधिनियम को लागू करने की मांग करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। वर्ष 2020 में दर्ज किए गए प्रथम इतिला प्रतिवेदना ने याचिकाकर्ता को अ०प्र०सं० की धारा 38 के तहत् संरक्षण प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाने का अवसर दिया । याचिकाकर्ता संख्या 1, ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तार नहीं किया गया था.लेकिन एक पल के लिए भी मान लें , कि याचिकाकर्ता कुछ देरी के साथ आए हैं, हम इस न्यायालय द्वारा असम संमिलिता महासंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाले मामले (2015) 3 एस.एस.सी. 1 में दिए गए निर्णय की राय से आश्वासन पाते हैं, जिसमें जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः- -

> "32. इसके अतिरिक्त, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम वाले मामले में अब यह निर्णायक रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है (पैरा 29 में)।कानून में इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए यह कहने का समय आ गया है कि कम से कम जब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन बिना अधिक विलम्ब और ढिलाई की बात आती है, तो किसी भी याचिकाकर्ता के लिए न्यायालय के दरवाजे को बंद करना पर्याप्त नहीं होगा।"

इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें आपत्ति के आधार पर हिरासत में लिया जाना चाहिए।हम यह सोचेंगे कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से दांव पर लगा है तो अनुच्छेद 32 के तहत किसी कार्रवाई को वीटो करने के लिए विलंब को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

10. प्रतिवादी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क भी उतना ही अप्रभावी है कि दांव पर व्यक्तिगत विवाद या व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला है। यह न्यायालय इस तरह से मामले के गुण-दोष से संबंधित नहीं है.यह न्यायालय जिस बात से संबंधित है वह कानूनी और संवैधानिक पहलुओं से संबंधित है जो प्रश्नगत आक्षेपित अधिसूचना को चुनौती देने से उत्पन्न होते हैं.एक बार जब यह न्यायालय आश्वस्त हो जाता है कि अधिसूचना का कोई आधार नहीं है और इसे ध्वस्त हो जाना चाहिए, तो राहत प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है।

11. राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाई गई एक अन्य आपत्ति यह है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर उच्च न्यायालय का ध्यान जाना चाहिए और इस न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अधीन हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।हम पहले ही अनुच्छेद 32 के वास्तविक आशय के बारे में विचार कर चुके हैं।हमें नहीं लगता कि हमें इस पहलू पर अधिक विस्तार से बात करनी चाहिए।हमारा विचार है कि यह स्पष्ट रूप से अनुसरण करने के कारणों के लिए एक उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय को आक्षेपित अधिसूचना की चुनौती पर विचार करना चाहिए.

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 342 में भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मान्यता देने की व्यवस्था है।अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को राज्य के साथ परामर्श करने के बाद उन जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है जिन्हें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जैसा भी मामला हो अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना जाएगा ।संसद को उप-अनुच्छेद (2) में यह अधिकार दिया गया है कि वह सूची में शामिल कर सकती है या सूची से बाहर कर सकती है।यह योजना है।

13. इस न्यायालय का पहला निर्णय, जो विवाद के इतिहास का वृत्तांत प्रस्तुत करता है, तीन निर्णयों में से अंतिम निर्णय है। अर्थात्, प्रभात कुमार शर्मा बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य (2006) 10 एससीसी 587।इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "8. संविधान के तहत (अनुसूचित जनजाति) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश, 1950 क्रम संख्या 20 में लोहारा जनजाति का उल्लेख किया गया था। बिहार राज्य के लिए एक अनुसूचित जनजाति.प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था जिसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है।काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछड़े वर्गों की सूची में, लोहार को एक टी. क्रम संख्या 60 दिखाया गया था।हालांकि, आयोग की रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति आदेश और आयोग के बारे में भी चर्चा की गई है लोहरा को लोहारा के साथ जोड़ने की सिफारिश अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में की गई ।
>
> 9. काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया जो 25-9-1956 से प्रभावी हुआ और बिहार के स्थान पर प्रविष्टि 20 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया गयाः "लोहारा" "या" "लोहरा।"इस प्रकार, 1976 तक अनुसूचित जनजाति आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं थी। शुरू में केवल लोहारा को

अनुसूचित जनजाति और 1956 से प्रभावी लोहारा के साथ-साथ लोहरा का भी उल्लेख इस प्रकार किया गया था.

10. 1976 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 पारित किया गया था और उसी के अंग्रेजी संस्करण अर्थात् प्रविष्टि 22 में 1956 से विद्यमान स्थिति को बनाए रखा गया था।"लोहारा" और "लोहरा" को कहा गया था कि ये अनुसूचित जनजातियां होंगी। हालांकि हिंदी में उक्त प्रविष्टि 'लोहारा' का अनुवाद 'लोहार' के रूप में किया गया था।इस प्रकार, हिंदी अनुवाद में 'लोहार' और 'लोहरा' दो के रूप में थे। 1976 के संशोधन के पश्चात् लोहार समुदाय के लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया। उन्हें काका कालेलकर आयोग द्वारा वर्ष 1955 में ही पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाने जाने के बावजूद अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए।

11. 1976 के अनुसूचित जनजाति आदेश के हिंदी अनुवाद में अस्पष्टता के कारण लोहार समुदाय के सदस्यों ने खुद पर दावा किया अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के लिए.इस विषय पर उच्चतम न्यायालय में पहला मुकदमा 12-9-1990 को शंभू नाथ बनाम भारत संघ [1990 का सीए सं. 4631] में आया था।कोरमःयह इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिए आया।इस न्यायालय ने 12-9-1990 को अपील का निपटान किया [तारीख 12-9-1990 का 1990 का सीए सं. 4631]कोरमःन्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी और न्यायमूर्ति के. रामास्वामी की खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"1. विशेष अवकाश मंजूर किया गया।

2. इस अपील में उठाया गया संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि अपीलार्थी लोहार समुदाय से संबंधित नहीं था जिसे अब बिहार के छपरा जिले में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया है।इसमें कोई विवाद नहीं है कि 1976 के बाद से समुदाय को इस प्रकार शामिल किया गया है, लेकिन भारत संघ के डाक विभाग के अनुसार, जिस समय अपीलकर्ता ने सेवा में प्रवेश किया था, उस समुदाय को इस प्रकार शामिल नहीं किया गया था और इसलिए, इस आधार पर भर्ती कि वह आरक्षण का हकदार था, गलत थी।

3. हमने अभिलेख को देखा है और पक्षकारों के वकील को सुना है।स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि लोहार समुदाय को 1976 में सूची में संशोधन की तारीख से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है और क्या इस बारे में विवाद है इस समुदाय को 'लोहार' या 'लोहरा' के रूप में जाना जाता था और यदि यह बाद (लोहरा) का था, तो इसे पहले से ही शामिल किया गया है, हम नहीं मानते कि न्यायाधिकरण ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह उचित था।

4. अपील की अनुमति दी जाती है और न्यायाधिकरण का आदेश रद्द कर दिया जाता है।अपीलकर्ता अब ड्यूटी पर लौटेगा।16-12-1986 के बीच की अवधि, जब उसे हटाने का आदेश दिया गया था और जिस तारीख को वह हमारे निर्णय के अनुसार शामिल होगा, अब वह अपने वेतन का 50% पाने का हकदार होगा।अन्य सभी सेवा लाभों के संबंध में, उसकी सेवा को निरंतर माना जाएगा।यह निर्णय शायद एक मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि उस बिंदु पर इस न्यायालय ने अंग्रेजी और अनुसूचित जनजाति आदेश के हिंदी अनुवाद के बीच विसंगति पर ध्यान नहीं दिया और इस आधार पर आगे बढ़े कि 'लोहार' का उल्लेख आदेश का हिंदी संस्करण में होने के कारण अपीलार्थी एक अनुसूचित जनजाति होने का लाभ प्राप्त करने का हकदार था.यहां तक कि भारत संघ की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को विसंगति की ओर इशारा नहीं किया और लोहारों को संघ के सदस्यों के रूप में मानते हुए आदेश पारित किया गया। बल्कि भारत संघ ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि लोहार समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल है।यह आदेश न्यायालय द्वारा बिना किसी विरोध के पारित किया गया।"

14. अगला, हमें नित्यानंद शर्मा और एक अन्य बनाम् बिहार राज्य और अन्य (1996) 3 एससीसी 576 में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान देना चाहिए. इसमें, बिहार राज्य से आने वाले और लोहार जाति से संबंधित अपीलकर्ताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित रूप में 1950 के अनुसूचित जनजाति आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा का दावा किया।हमें केवल निम्नलिखित पैराग्राफ संख्या 11,13,15 पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः

"11 इस प्रकार 'लोहरा' या 'लोहारा' बिहार में 'लोहार' से 'लोहार' के रूप में अलग हैं, जैसा कि इसमें पहले देखा गया है कि 'कोइरी' और 'कुर्मी' के साथ रैंक किया गया है जबकि 'लोहरा' या 'लोहारा' केवल ' उपजातियाँ हैं। उप-जातियों, छोटानागपुर में

मुंडाओं का एक समूह या असुर की उप-जनजातियों, जो अनुसूचित जनजातियां हैं.

13. तब प्रश्न यह है:क्या न्यायालय द्वारा लोहारों को लोहारों या लोहारों के पर्याय के रूप में माना जा सकता है?अब यह सवाल नहीं है भैयालाल बनाम हरिकिशन में सिंह [(1965) 2 एससीआर 877:ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1557) के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक चुनाव याचिका में विचार किया था कि क्या दादर जाति अनुसूचित जाति थी।अदालत ने कहा कि किसी जाति, नस्ल या जनजाति को निर्दिष्ट करने में राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से जाति, नस्ल या जनजातियों के हिस्सों या समूहों के भीतर अधिसूचना को सीमित करने के लिए अधिकृत किया गया है।इसका मतलब यह होना चाहिए कि किसी जाति, नस्ल या जनजाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच करने के बाद राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पूरी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके हिस्सों या समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। विनिर्देश का परिणाम निर्णायक है।अनुच्छेद 341 (1) के तहत जारी अधिसूचना, राज्यपाल के परामर्श से एक विस्तृत जांच के बाद और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष जाति, नस्ल या जनजाति को निर्दिष्ट करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, निर्णायक है।इसी दृष्टिकोण के बी. बसावलिंगप्पा बनाम डी. मुनीचिन्नाप्पा [(1965) 1 एससीआर 316:एयर 1965 एससी/269 में दोहराया गया।"

(जोर दिया गया)

15. शंभूनाथ मामले (सी. ए संख्या 4631 वर्ष 1990, सितंबर 15, वर्ष 1990 को निर्णीत) पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

"16. .....इसलिए, इस न्यायालय का कोई कानून बनाने का इरादा नहीं था कि लोहार अनुसूचित जनजाति हैं। दुर्भाग्य से संघ के वकील द्वारा रियायत के कारण, अंग्रेजी संस्करण से उचित सत्यापन के बिना, इस न्यायालय ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत हिंदी संस्करण को स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया था.एक गलत तथ्य को स्वीकार करने में एक स्पष्ट गलती थी।इसलिए, यह न्यायालय अधिनियम से सत्यापन किए बिना उस गलत धारणा पर आगे बढ़ा कि लोहार बिहार राज्य से संबंधित दूसरी अनुसूची के भाग III में शामिल हैं.उसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा था:

इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि लोहार समुदाय को 1976 में सूची के संशोधन की तारीख से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, हम नहीं सोचते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाना न्यायोचित था।"

17. इसलिए, यह न्यायालय वकील द्वारा स्वीकार किए गए आधार पर आगे बढ़ा कि लोहार को अनुसूचित जनजाति के रूप में दूसरी अनुसूची में लोहार के रूप में अधिनियम में शामिल किया गया था।वकील चाहता है. हम पहले के वाक्य को पढ़े "हमने अभिलेख को देखा है।" तथ्यों को देखते हुए निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में उद्धृत अधिनियम और दूसरी अनुसूची से उद्धरण, उपर्युक्त वाक्य का प्रभाव स्वयं बोलता है और अन्यथा प्रतीत होता है।तथ्य यह है कि न्यायपीठ ने संघ के वकील की रियायत के आधार पर कार्य किया।यह एक स्पष्ट गलती साबित हुई और तथ्य के रूप में अनुवादित हिंदी प्रति न्यायालय के समक्ष रखी गई और न्यायालय उस आधार पर आगे बढ़ा।"

16. हम अंततः नित्यानंद शर्मा (उपर्युक्त) के पैराग्राफ-20 पर ध्यान देंगेः

"20. तद्नुसार, हम मानते हैं कि लोहार एक अन्य पिछड़ा वर्ग है।वे अनुसूचित जनजाति नहीं हैं और न्यायालय कोई घोषणा नहीं कर सकता है कि लोहार या लोहरा के बराबर हैं या वे समान स्थिति के हकदार हैं।बिहार उच्च न्यायालय की किसी भी पीठ/पीठ द्वारा लिया गया कोई भी विपरीत दृष्टिकोण गलत है।यह प्रतीत होता है कि कुछ छिटपुट मामलों को छोड़कर, उस न्यायालय का एक सुसंगत दृष्टिकोण है कि लोहार अनुसूचित जनजाति नहीं हैं।वे लोहार हैं। हम सही कानून बनाने के बारे में कहने के कथित दृष्टिकोण को मंजूर करते हैं।"

17. पैराग्राफ संख्या 20 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय ने घोषित किया कि लोहार एक अन्य पिछड़ा वर्ग है और इससे भी अधिक, वे अनुसूचित जनजाति नहीं हैं और न्यायालय कोई घोषणा नहीं कर सकता कि लोहार या लोहरा के बराबर हैं या वे समान स्थिति के हकदार हैं।

18. अगले निर्णय में, जो 1997 (3) एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया गया है। 406 विनय प्रकाश और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, फैसले के पहले वाक्य में, इस न्यायालय ने ध्यान दिया कि यह लोहार समुदाय द्वारा लोहारा की स्थिति प्राप्त करने का चौथा प्रयास था।इसके बाद, न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता है कि लोहार बिहार राज्य में एक पिछड़ा समुदाय है, जबकि लोहारा बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति हैं।न्यायालय ने आगे नोटिस दिया कि नित्यानंद शर्मा (ऊपर) में निहित घोषणा को

फिर से खोलने का प्रयास किया गया था।न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> "6. सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो ऐसा नहीं है राष्ट्रपति की अधिसूचना के अधीन अनुसूचित जनजाति अधिसूचना अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की हकदार है।यह पहले से ही माना जाता है कि हालांकि राष्ट्रपति की अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण स्पष्ट रूप से 'लोहार' का उल्लेख है. लोहार का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इसका अनुवाद करते समय, लोहारों को भी गलत तरीके से शामिल किया गया था, जैसा कि नित्यानंद शर्मा [(1996) 3 एससीसी 576] के मामले में इस न्यायालय द्वारा इंगित किया गया था..... इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना स्पष्ट थी और इसलिए, लोहार अनुसूचित जनजाति के अर्थ में नहीं थे। अनुच्छेद 370 के अधीन अनुसूचित जनजातियों की उपेक्षा संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के साथ पठित 366 (25) और इसलिए, इस न्यायालय ने इंगित किया था कि वे अनुसूचित जनजातियों का दर्जा पाने के हकदार नहीं हैं।यह स्पष्ट है कि यदि राष्ट्रपति की अधिसूचना में कोई विशिष्ट वर्ग या जनजाति या उसका कोई भाग शामिल है, तो जैसा कि इस न्यायालय ने निर्णय दिया है, यह संसद का दायित्व होगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 342 (2) में आवश्यक संशोधन करे और यह कार्यपालिका सरकार का नहीं बल्कि न्यायालय का दायित्व है कि वह नियमों की व्याख्या करे और यह अर्थ लगाए कि क्या कोई विशेष जाति या जनजाति या उसका कोई भाग या अनुभाग अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का दावा करने का हकदार है।इन परिस्थितियों में, हम सोचते हैं कि नित्यानंद शर्मा मामले [(1996) 3 एससीसी 576] के निर्णय में किसी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पालघाट मामले [(1994) 1 एससीसी 359] को छोड़कर, जिस पर बाद में एक अन्य निर्णय में विचार किया गया था, उसमें संदर्भित अन्य निर्णयों पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।इन परिस्थितियों में, हम नहीं सोचते कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले निर्णय में कोई अवैधता है.
>
> 7. तब यह तर्क दिया जाता है कि नित्यानंद शर्मा मामले [(1996) 3 एससीसी 576] में निर्णय के भावी लागू होने के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।इसके समर्थन में, विद्वत वकील ने कर्नाटक राज्य बनाम कुमारी गौरी नारायण अंबिगा [1995 सप्लीमेंट (2) एससीसी 560 : 1995 एससीसी (एल एंड एस) 887:

(1995) 30 एटीसी 37) और दिल्ली सरकार (1995)।ए. पी. वी.बाला मुसलैया [(1995) 1 एससीसी 184:1995 एससीसी (एल एंड एस) 275] पर विश्वास व्यक्त किया । हमें डर है कि हम विद्वत वकील के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। यह एक ऐसा मामला है जहां शुरू से ही प्रतिवादी अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक स्थिति के हकदार नहीं थे।चूंकि उनके द्वारा प्राप्त प्रविष्टि विभाग द्वारा अधिसूचना में किए गए गलत अनुवाद पर आधारित थी और उस आधार पर आदेश प्राप्त किया गया था, इसे अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।हम अवैधता के अपराध की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि संविधान के तहत वे अनुसूचित जनजातियों के दर्जे के हकदार नहीं हैं।इन परिस्थितियों में, उपरोक्त दो निर्णय इस मामले के निम्नलिखित तथ्यों पर किसी तरह कोई लागू नहीं होते हैं।"

(जोर दिया गया)

19. यह लगभग एक दशक के बाद था कि इस न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला और यह प्रभात कुमार शर्मा (उपर्युक्त) में उल्लिखित है।न्यायालय ने इस संबंध में तथ्य यह है कि नित्यानंद शर्मा (ऊपर) में कानून की व्याख्या पर फिर से गौर करने का यह दूसरा प्रयास था। इस न्यायालय के समक्ष प्रभात कुमार शर्मा (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह प्रतिवाद करने का प्रयास किया गया था कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रवृत्त होने के पश्चात् हिंदी पाठ प्राधिकृत पाठ था और यदि हिंदी और अंग्रेजी पाठ के बीच कोई विरोध होता है तो हिंदी पाठ प्रबल होना चाहिए।इन तर्कों पर विशेष रूप से विचार किया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रवर्तन में आने के बाद राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1) के तहत हिंदी संस्करण आधिकारिक पाठ था और हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों के बीच अस्पष्टता की स्थिति में हिंदी संस्करण प्रबल होगा।संविधान का अनुच्छेद 348 स्पष्ट रूप से संसद के अधिनियमों, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन अधिनियमों के संशोधन के संबंध में आधिकारिक पाठ के रूप में अंग्रेजी का प्रावधान करता है।राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का उपबंध किया गया है।धारा 5 राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों के हिंदी अनुवाद का उपबंध करती है या यदि संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई आदेश या नियम या विनियम या उपविधियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 और 5 के संयुक्त पठन से अंग्रेजी संसद के अधिनियमों के संबंध में अधिकारित मूल पाठ बनी हुई है।

20. उसके बाद, हम केवल याचिकाकर्ताओं के साथ न्याय करने के लिए नोटिस कर सकते हैं, इस न्यायालय के फैसले में (2020) 14 में बताया गया है स्केल 456, दि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अन्या बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 1995 एससी 457 केशाओ विश्वनाथ सोनोन और एक अन्य और हमें नहीं लगता कि हमें मामले के कानून के संदर्भ में अपने फैसले पर और बोझ डालना चाहिए।यह कहना पर्याप्त होगा कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि लोहार अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं थे और वे बिहार राज्य में पिछडा वर्ग के सदस्य थे।

21. इस पृष्ठभूमि में, हमें आक्षेपित अधिसूचना की चुनौती पर विचार करना चाहिए।राज्य की स्थिति यह है कि वर्ष 1976 में अधिनियम के हिंदी संस्करण में, बिहार के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रम संख्या 22 में, सामाजिक समूह 'लोहार, लोहरा' (हिंदी में) निर्दिष्ट किया गया था।यह उनका आगे का कथन है कि वर्ष 2006 में एक और संशोधन द्वारा (अधिनियम 48/2006), 1976 के अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा बिहार राज्य से संबंधित भाग III की अनुसूची, मद संख्या 22 (जिसे मद 21 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है) के हिंदी संस्करण में दर्शाया गया है। अधिनियम में 'लोहारा, लोहरा' शब्दों के स्थान पर 'लोहार, लोहरा' शब्द रखे गए हैं।इस तथ्य का संदर्भ दिया जाता है कि इस दौरान समय के साथ लोहार जाति के अनेक संघ बार-बार बन रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'लोहार' शब्द 'लोहार' शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है।यह आगे प्रतिवाद किया गया है कि 2006 के अधिनियम संख्या 48 में बिहार राज्य में लोहार सामाजिक समूह से संबंधित व्यक्तियों को उस समय अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी।हालांकि, कथित जाति के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, लोहार सामाजिक समूह की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक नृजातीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमीशन किया गया था।इस समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ बिहार के 38 जिलों के सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि लोहारा/लोहरा दोनों ही लोहार सामाजिक समूह के पर्याय थे और एक ही थे।नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के आधार पर, राज्य ने केंद्र सरकार से लोहार सामाजिक समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की।केंद्र सरकार के पास सिफारिश के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार के संज्ञान में आया कि संसद ने 2016 का अधिनियम 23 अधिनियमित किया था जिसने 2006 के पहले संशोधन अधिनियम को निरस्त कर दिया था। उन्होंने 'लोहार, लोहरा' शब्दों के स्थान पर 'लोहरा, लोहरा' शब्द रख दिया था।लोहार जाति के विभिन्न संगठनों ने दावा करना शुरू कर दिया, 2006 के अधिनियम के निरसन के कारण, कि 1976-21 की स्थिति अधिनियम को बहाल किया गया।उपर्युक्त रिपोर्ट के आलोक में और नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के कारण, राज्य ने बिहार राज्य में लोहार जाति को आक्षेपित अधिसूचना के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि वह इस अधिनियम को समाप्त कर दे। केंद्र सरकार की पिछडे वर्ग की सूची में से 'लोहार' जाति और इस संबंध में केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार है।

इस बीच, प्रविष्टि संख्या 115 की लोहार जाति से संबंधित आर्थिक रुप से पिछडा वर्ग सूची को हटा दिया गया।इसके अलावा, इसके अलावा, और बहुत हाल ही में, राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार से दिनांक 28.10.2021 को लोहार जाति को उसकी प्रविष्टि संख्या 18 से हटाने का अनुरोध किया है। दिनांक 08.08.2016 के पत्र द्वारा बिहार के लिए केन्द्रीय पिछडे वर्ग की सूची, जिसे दिनांक 23.08.2016 के राजपत्र संख्या 689 के रूप में प्रकाशित किया गया था, जो कि एक आक्षेपित अधिसूचना है।

22. हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की सामग्री के माध्यम से हमारे संज्ञान में लाए गए मामलों की स्थिति से बहुत व्यथित हैं।यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस न्यायालय का ध्यान नहीं गया है, जैसा कि हमने देखा है कि इस मुद्दे पर तीन बार विचार किया गया है।यह स्पष्ट और निर्विवाद रूप से घोषित किया गया है कि लोहार अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं और वे पिछडा वर्ग के सदस्य हैं। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के तहत, जिस तरह से हमारे पास संविधान के तहत है, यह अदालतों का कर्तव्य और अधिकार बन जाता है कि वे विवादों को निपटाएं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान ने राज्य के अन्य अंगों के लिए शक्तियां प्रदान की हैं । राज्य के अन्य अंगों के लिए।जब नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की बात आती है, तो यह कार्यपालिका का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह अपने निर्णयों के निहितार्थों के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ करे।कम से कम उसे अदालतों द्वारा निर्धारित कानून से खुद को लैस करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या इस फैसले से देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का उल्लंघन होगा।यह एक ऐसा मामला है जहां हमने तीन निर्णयों, जिनका हमने उल्लेख किया है, में तार्किकता और निर्णयों की एक अटूट रेखा देखी है।इस न्यायालय ने हिंदी संस्करण पर प्रचलित अंग्रेजी भाषा के पहलू पर भी निर्णय दिया है, यदि कोई विरोध है।

23. हमें अधिकारों पर एक निर्णय के प्रभाव को और अधिक महसूस करना चाहिए और इससे भी अधिक, सरकार की कार्रवाई से नागरिकों के मौलिक अधिकार और एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा निर्णय लेने से कानून के शासन को बढ़ावा मिले और उसे मजबूती मिले। इस क्षेत्र में कार्यरत न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान करना कानून के शासन का मूल आधार है। न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या की गई स्थिति की अवहेलना करना या उसकी उपेक्षा करना उस देश के लिए विनाशकारी होगा जो कानून के शासन द्वारा शासित है।

24. इस मामले में, यह दिन की रोशनी जैसा स्पष्ट है कि लोहारों को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में शुरू से ही शामिल नहीं किया गया था और वास्तव में उन्हें बिहार राज्य में पिछडे वर्ग के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था।यह स्थिति इस न्यायालय में अभिव्यक्त हो गई है और इस न्यायालय ने प्रभात कुमार शर्मा (पूर्वोक्त) में विनिश्चय में मामले के इतिहास का पता लगाया है।

25. जो स्पष्ट रूप से हुआ है वह यह है कि वर्ष 2006 में, प्रारंभ में, 2006 के अधिनियम 48 द्वारा, 1976 के संशोधन के हिंदी संस्करण में, 'लोहड़ा, लोहड़ा' शब्दों को पूर्व क्रम संख्या 22 के स्थान पर, जिसे बाद में क्रम संख्या 21 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया था, क्रम संख्या 21 के रूप में जोड़ा गया था।जाहिर है, इस संशोधन ने लोहारों के अनुसूचित जनजाति होने के मामले को आगे नहीं बढ़ाया और आगे भी नहीं बढ़ाएगा।दूसरी ओर, यह अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप था जो आधिकारिक संस्करण है।बाद में, 2016 में, यह सच है कि 2006 के अधिनियम 48 को निरस्त कर दिया गया।यहां तक कि 2006 के अधिनियम 48 को निरस्त करने का प्रभाव कानून की पुस्तक में कभी नहीं था, यह संभवतः इस स्थिति में नहीं जा सकता है कि लोहार अनुसूचित जनजातियों की सूची में अपना रास्ता बना सकते हैं।प्रतिवादी राज्य के लिए आक्षेपित अधिसूचना जारी करने का क्या आधार है, जिसके द्वारा 2006 के अधिनियम को निरस्त करने वाले 2016 के संशोधन के संदर्भ में, इसने लोहारा, लोहार समुदाय को अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र को मंजूरी देने की पहल की?लोहार और लोहार एक समान नहीं हैं। 'लोहारा' के साथ-साथ लोहारों को शामिल करना स्पष्ट रूप से अवैध है और मनमाना।अंग्रेजी पाठ जिसे आधिकारिक पाठ माना गया है और इस न्यायालय के निर्णय को नजरअंदाज कर दिया गया है।हम इस दृष्टिकोण का अनुमोदन नहीं कर सकते, जो कम से कम दिमाग के पूर्ण उपयोग को धोखा देता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मनमाने तरीके से किया गया है।इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के क्रोध को आकर्षित करता है। यह बदले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ताओं के दृष्टिकोण को सही ठहराता है।

26. इस अधिसूचना के निहितार्थ गहरे हैं और यह नागरिकों के अधिकारों को सबसे प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है। अधिसूचना के प्रभाव का आकलन 1989 के अधिनियम के संदर्भ में भी किया जाना है क्योंकि यह अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के संदर्भ में है कि 1989 के अधिनियम के तहत अभियोजन का भी आकलन किया जाना है।दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति जो लोहार है, अनुसूचित जनजाति के रूप में व्यवहार किए जाने पर, 1989 के अधिनियम के संरक्षण का आह्वान करने का हकदार होगा।1989 के अधिनियम के उपबंधों में जमानत मंजूर करने के मामले में कठोर शर्तें रखी गई हैं।1989 के अधिनियम की धारा 18 और 18क द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन भी अग्रिम जमानत की अनुज्ञा नहीं दी गई है। निस्संदेह इन प्रावधानों के प्रभाव को न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

27. ये ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।यह इस तथ्य के अलावा है कि अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में अन्यथा हकदार व्यक्तियों को शामिल करने से सार्वजनिक रोजगार और अन्य मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों में सीधे तौर पर अनुचित बाधा आएगी।

28. इसलिए, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी राज्य द्वारा आक्षेपित अधिसूचना जारी करने का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में कार्यपालिका की शक्ति की सीमा विनय प्रकाश (पूर्वोक्त) में घोषित की गई है।हम सोचेंगे कि दृष्टिकोण बहुत आकस्मिक रहा है और इसने एक ऐसी स्थिति पैदा की है जिसके लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है, भले ही इससे पूरी तरह से बचा जा सकता था यदि केवल प्रतिवादी ने उचित देखभाल की होती और जैसा कि हमने पहले ही देखा है।

29. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और आक्षेपित अधिसूचना नष्ट हो जानी चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत यह है कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में मुआवजा देने की शक्ति है।यदि इसके लिए किसी प्राधिकारी की आवश्यकता है तो हम केवल निलावती बेहरा @ललिता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) 2 एससीसी 746 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।हम नहीं सोचते कि हमें किसी अन्य निर्णय का उल्लेख करना चाहिए।

30. हमने देखा है कि याचिकाकर्ताओं के लिए एक मामला है कि याचिकाकर्ता नं. २ और ४ कुछ समय के लिए जेल गए थे.इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के लिए एक मामला है कि दो याचिकाकर्ताओं के संबंध में अभियोजन केवल 1989 के अधिनियम के तहत एक मामला स्थापित करने वाले लोहार जाति से संबंधित शिकायतकर्ताओं पर आधारित नहीं था।हालांकि, हम यह सोचते हैं कि याचिकाकर्ताओं को मौद्रिक रूप में पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसे हम लागत के रूप में वर्णित करेंगे।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम सोचेंगे कि 5, 00, 000/- रुपए (पांच लाख रुपए) खर्च के रूप में अधिरोपित किए जाने चाहिए।31. परिणामस्वरूप, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं।हम इस अधिसूचना को रद्द करते हैं।हम नोटिस कर सकते हैं कि आक्षेपित अधिसूचना में 'लोहार', 'लोहार' समुदाय को प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है।लोहारा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, लेकिन लोहार अनुसूचित जनजाति का नहीं है।इसलिए, जबकि हमने अधिसूचना रद्द कर दिया है. इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि 'लोहारा' जो पहले से ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल है, इस फैसले से प्रभावित होगा।हम स्पष्ट करते हैं कि आक्षेपित अधिसूचना को रद्द करना लोहार समुदाय के लिए होगा और लोहारा को अधिनियमों द्वारा संशोधित राष्ट्रपति के आदेश के तहत उन्हें दिया गया लाभ मिलता रहेगा।हम निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या१ रु. ५, ००, ०००/- (पांच लाख रु.) की राशि का भुगतान करेगा, जो आज से एक महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और प्रत्यर्थी आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उसी की प्राप्ति के भुगतान का सबूत प्रस्तुत करेगा.जहां तक याचियों के खिलाफ मामलों का संबंध है, यह याचियों का काम है कि वे उपयुक्त मंच पर समाधान निकालें और आवश्यक रूप से, न्यायालय उस निर्णय पर ध्यान देंगे जो हमने आज सुनाया है। हम आशा करते हैं कि प्रथम और द्वितीय प्रत्यर्थी आज के निर्णय की घोषणा के

मद्देनजर प्राधिकारियों को समुचित निदेश जारी करेंगे। लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निष्पादन किया जाता है।

[के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति]

[ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

21 फरवरी, 2022